FORM NO. 111

फर्द अहकाम (नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रींगस

उनवान ओमप्रकाश वनाम श्री श्याम परिवार संघ पं वगै0

किस्म मुकदमा 09 रूल 13 सीपीसी मु.न 03/022 बी.टी.न0–131/2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
15/09/25	प्रार्थी की ओर से वकील श्री सरदार सिंह प्रथम ने हाजिर। अप्रार्थी सं0 1 की ओर से वकील श्री दीपक बाजिया हाजिर। अप्रार्थी सं0 1 की ओर से वकालतनामा पूर्व से पत्रावली पर पेश शुदा है जिसे रिकार्ड पर लिया जाता है। बहस प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 सीपीसी पर वकील प्रार्थी व वकील अप्रार्थी सं0 1 की सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि दावा बाबत घोषणा व रिकार्ड दुरूस्ती, तकाष्मा व स्थाई निषेधाज्ञा वउनवानी श्याम परिवार संघ पंजाब बनाम् औमप्रकाश वगैरह मुकदमा नम्बर 58/2019 अदालत हाजा में बाला बाला दिनांक 02.07.2019 को पेश किया गया। जिसमें प्रतिवादीगण की तामिल जरिये सम्मन किया जाने का आदेश जारी किये जाकर आगामी पेशी देखने तामिल में दिनांक 16.07.2019 नियत की गयी। दिनांक 27.02.2025 तक पत्रावली में उपलब्ध आदेशिका अनुसार न तो कोई तामिल जारी करनें का कोई कोई डिस्पेच क्रमांक हैं। न ही प्रतिवादी की तामिल सामान्य प्रक्रिया से तामील क्यो नही हुई है। ना ही पीठासीन अधिकारी की उपस्थिति रही है दिनांक 12.03.2020 को वकील वादी के मौखिक निवेदन पर प्रकरण में प्रतिवादीगण की तामिल रजिस्टर्ड डाक से करवाने की स्वीकृति प्रदान कर वास्ते पेश होने सम्मन तलबाना मय रजिस्टर्ड लिफाफे पत्रावली 23.03.2020 नियत की गई। दिनांक 23.03. 2024 को कोविड–19 महामारी के कारण लॉक डाउन कर दिया	

Signature Not Verified

Digitally signed by Brejesh Kumar
Date: 2025.09.25 10:05:44 IST
Reason: SelfAttested

गया था तब से कोविड महामारी का प्रकोप प्रार्थना पत्र पेश करने तक चलता रही। तत्पश्चात पत्रावली में 25.07.2020, 11.09.2020, 25.09.20, 19.10.2020, 10.11.2020, 21.01.2021, 15.03.2021 की तारीख पेशीया नियत की गई। उक्त तारीख पेशियों पर भी पीठासीन अधिकारी की उपस्थिति नही रही तथा उक्त पेशियों में भी आदेशिका के अनुसार वादी की ओर से कोई सम्मन तलबाना पेश किया गया हो तथा रजिस्टर्ड डाक लिफाफे पेश किये गये हो ऐसा पत्रावली की आदेशिका में नही है। दिनांक 16.03.2021 को पीठासीन अधिकारी उपस्थित रहते हुए पत्रावली में प्रतिवादीगण की तामिल रजिस्टर्ड डाक से एक वर्ष की अवधी पूर्व हो चुके होनें का उल्लेख करते हुए प्रतिवादीगण के विरूध एक पक्षिये कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रकरण मे वकील वादी के निवेदन पर वाद पत्र को विभाजन का वाद पत्र बताया जाकर वाद पत्र को तकास्में से संबंधित होनें का निर्णय में उल्लेख करते हुए प्रकरण में पक्षकारान के राजस्व रिकार्ड में दर्ज हक हिस्सा व मौके पर कब्जा काश्त अनुसार विधिक विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार से मंगवाये जाने हेतु एक पक्षिये प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 16.03.2021 को पारित की गई जो प्रार्थी की बिना विधिक तामिल के प्रार्थी को बिना उक्त प्रकरण की तारिख पेशी की जानकारी के एक पक्षिये आदेश, एक पक्षिये डिक्री पारित की गयी जिसकी जानकारी प्रार्थी को कभी भी नही रही है अतः प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी प्रस्तुत कर निवेदन प्रार्थी का प्रार्थना न्यायहित में स्वीकार किया जाकर एक पक्षिये निर्णय व प्रा0 डिक्री दिनांकित 16.03.2021 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर सीकर मु0न0 58/2019 (बी.टी.न. 72[illegible]) उनवानी श्री श्याम परिवार संध पंजाब बनाम ओमप्रकाश [illegible] वाद पत्र बाबत घोषणा, दुरूस्ती

Signature Not Verified
Digitally signed by Brejesh Kumar
Date: 2025.09.25 10:05:44 IST
Reason: SelfAttested

रिकार्ड तकास्मा एंव स्थाई निषेधाज्ञा अपास्त किया जाकर मूल वाद में सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जावे।

जबाब में अप्रार्थी सं0 1 के अधिवक्ता ने वकील प्रार्थी के कथनों का विरोध करते हुए प्रा0 पत्र आदेश 9 नियम 13 सीपीसी को खारीज करनें का निवेदन किया।

बहस उभय पक्ष सुनी गई। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। वाद पत्र में प्रतिवादी सं0 1 की तामील रिपोर्ट से स्पष्ट है कि तामील डाक से हुई है। नोटिसो पर डाक रसीद चष्पा है लेकिन डाक तामिलों के साथ ट्रेक रिपोर्ट नही पेश नही है तथा कोविड महामारी के दौर गुजरनें बाद प्रतिवादी प्रतिवादी सं0 1 ता 6 के विरूध एकतरफा कार्यवाही कर प्राथमिक डिक्री जारी किया गयी हैं इसके बाद पत्रावली का स्थानान्तरण न्यायालय हाजा मे कर देने से न्यायालय हाजा को प्राप्त होकर पेश हुई। (प्रतिवादी सं0 1) को पुख्ता तामील नही होना जाहिर आया है। मामला अचल सम्पत्ति का है। इसलिए प्रार्थी को जबाब देही का अवसर दिया जाना उचित समझा जाता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। तथा एकपक्षिये निर्णय व प्रार्थमिक डिक्री दिनांकित 16.03.2021 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर) मुकदमा सं0 58/2019 (बी.टी. नम्बर 728/2021) उनवानी श्री श्याम परिवार संघ पंजाब बनाम औमप्रकाश वगैरह वाद बाबत घोषणा, दुरूस्ती रिकार्ड, तकास्मा एंव स्थाई निषेधाज्ञा अपास्त किया जाकर प्रार्थी (प्रतिवादी सं0 1) को मूल वाद में सुनवाई व जबाबदेही का

Signature Not Verified

Digitally signed by Brejesh Kumar
Date: 2025.09.25 10:05:44 IST
Reason: SelfAttested